समक्षः न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.कं. /14–15/निगरानी

1–मंजीत सिंह पुत्र समुंदर सिंह उम्र 30 वर्ष
2–तस्वीर सिंह पुत्र समुंदर सिंह उम्र 55 वर्ष
3–गुरूदीप सिंह पुत्र प्यारा सिंह उम्र 32 वर्ष
निवासीगण ग्राम मयापुर तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.कं. 106/2000–01/निगरानी आदेश दिनांक 11.01.2001

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निगरानी पेश हैः–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

यह कि ग्राम मयापुर में निगरानीकर्ता भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे है। निगरानीकर्ता तथा अन्य भूमि पर काबिज व्यक्तियों को कोई सूचना दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित करते हुए निगरानीकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों की भूमि के पट्टे एवं नाम निरस्त करते हुए भूमि को वन विभाग के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिनांक 11.01.2001 को देकर तहसीलदार श्योपुर को पटवारी अभिलेख में अमल कराने के आदेश दे दिये गये, जिसकी जानकारी किसी को नहीं हुई, खसरे में भी उक्त आदेश का अमल कई साल बाद खसरा सम्बत 2061 से 2065 में आदेश कराया गया है। जानकारी होने पर निगरानीकर्ताओं के अलावा अन्य कृषकगणों ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 2082/2010

कमंशः.....2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3108–एक/2015 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर श्योपुर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 106/निगरानी/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2001 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण द्वारा एक रिट पिटीशन कमांक 2082/10 माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 14.7.15 को यह आदेश दिया गया था कि अपीलीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे, जबकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 14.7.15 के परिपालन में प्रकरण अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत	

करें। इस न्यायालय से प्रकरण को समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य